



# DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together  
And Achive Dream  
Together

# Dr Surendra Dhiwa

Educator

( Law | Public administration and management )


( Polity and IR | Audit and Accounting )



**धारा 67** → नगर पालिका द्वारा संपत्ति का अधिन  
रूप धारण करने की शक्ति

**धारा 68** → संपत्ति का नगरपालिका में निहित होना →

के समस्त संपत्तियां जो राज्य सरकार  
द्वारा आरक्षित नहीं की गई हैं



→ स्तवप्रतिष्ठ भूमि, परकोटे, बाजार,

→

68(2)

→ राष्ट्र सरकार, नगरपालिका से भूमि  
वापस ले सकती है

- कुपब-प ✓
- लोकहित में ✓


68(क)

68-A

[68-5] → भूमि को नगर पालिका में निहित होना और उसका व्ययन (disposal)

2021 में जोड़ा गया →

राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956



भू राजस्व अधि. 1956 की धारा 103 में यथा परिभाषित भूमि नगर पालिका को सौंपी हुई तथा उसमें निहित समझी जाएगी।

अपवाद →

103 5 (ii)

102 क →

नजूल भूमि

103 →


राजस्थान व राजहव प्राधिकरण 1956

राज्य की न्याय निहित करने पर

⇒ सुधार विकास

→ अल्प वलम्बि / जाधिकारी

राज्य सरकार राजपत्र में प्राधिसूचना द्वारा



**धारा 69** → करार (Agreement), विनिमय (exchange),  
पट्टा (lease), अनुदान (grant) आदि द्वारा  
नगर पालिका द्वारा संपत्ति का भर्जन →

→ राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त

(i) करार → स्यावर (immovable) संपत्ति  
 " " " (easement) सुरकाधिकार

(ii) विनिमय

(iii) पट्टे → स्यावर संपत्ति →



अनुदान → grant → किसी व्यक्ति द्वारा नगरपालिका को दिया जाने पर ⇒ Income / जंगम / स्वावर

→ किसी धर्म का हितग्राही  
(Beneficiary of any trust)

- Indian trust Act 1882
- charitable & religious trust Act 1920 ✓

धारा (69 ड) 2021 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई

→ कुछ प्रमितियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की  
स्वीकृति तथा पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया

जाता →

☆ गैर कृषि प्रयोगों को → अभ्यर्पित करेगा (नगरपालिका  
(Surrender) - का को)

स्वीकार करेगी

नगरपालिका अनुसर्पण को स्वीकार करती हूँ



तथा  
पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी  
करती हूँ



































# THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

[www.drgenius.academy.com](http://www.drgenius.academy.com)

